

Commercial Engineers & Body Builders Co Limited



CIN-L28100MP1979PLC049375

Regd. Office: 48, Vandana Vihaar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) INDIA
Email Id – cs@cebbco.com, Website – www.cebbco.com, Tel – 0761-2661336

Date – 17 December 2021

To,
**Listing Department,
BSE Limited,**
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001
Fax No. 022-2272 3121/2272/2037

To,
**Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,**
'Exchange Plaza', 5th Floor,
Plot No. C/1, G. Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai - 400 051

BSE Security Code: 533272

NSE Symbol: CEBBCO

Dear Sir/ Madam,

Sub.: Newspaper advertisement intimating about the date of hearing of petition fixed by the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT") by way of its order in relation to the sanction of the Scheme of Amalgamation (as defined below).

Ref: Scheme of Amalgamation of Jupiter Wagons Limited into and with Commercial Engineers & Body Builders Co Limited ("CEBBSCO") under Sections 230 – 232 of the Companies Act, 2013, other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other rules and regulations framed thereunder ("Scheme of Amalgamation").

This is in continuation to our intimation dated 28 September 2020 and subsequent communications with respect to the Scheme of Amalgamation. In this regard, we would like to inform that CEBBCO had filed a petition with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad ("**Petition**") for sanction of the Scheme of Amalgamation and the Petition has been admitted by the Hon'ble NCLT.

We would further like to inform that the petition is fixed for further consideration on Thursday, 13 January 2022 before the Hon'ble NCLT at 10.30 A.M. or soon thereafter.

As per the directions of the Hon'ble NCLT by way of its order in relation to the Scheme of Amalgamation, CEBBCO has duly advertised the notice of hearing of the Petition in two newspapers viz. Financial Express (English daily) and Raj Express (Hindi daily) today, i.e., on 17 December 2021 calling for objection if any on or before the date of hearing (i.e., Thursday, 13 January 2022). The newspaper clippings are enclosed for your information and records.

We request you to kindly take the above on record.

Yours faithfully,
For Commercial Engineers & Body Builders Co Limited



Deepesh Kedia
Company Secretary

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,
Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,
Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,
Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.
Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand – 932109,
Factory (Unit VI) : 118, Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. CIN: L28100MP1979PLC049375 Regd. office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

FORM NO. NCLT. 3A Advertisement detailing petition [See Rule 35] Before National Company Law Tribunal, Indore Bench C.P.(CAA)/8(MP)2021 connected with C.A. (CAA)/8(MP) 2021

COMMERCIAL ENGINEERS & BODY BUILDERS CO LIMITED, having CIN-L28100MP1979PLC049375 a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur - 482001, Madhya Pradesh.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Gali. WEST : Remaining Part of above said property. NORTH : Property No.17. SOUTH : Property No.15.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is the Entire Built up property with the rights of upper construction upto the last storey, area Measuring 76 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : PROPERTY OF KALE/DESHA. WEST : PROPERTY OF SANJAY AND CHARAN SINGH & ROAD. NORTH : PROPERTY OF NETRAM. SOUTH : FACTORY AND PROPERTY OF SANJAY.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017) FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF MIRCHI ARTS PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given that the "Mirchi Arts Private Limited" has commenced voluntary liquidation on -13th December 2021. The stakeholders of "Mirchi Arts Private Limited" are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 12th January, 2022 to the Liquidator at the regd. address as mentioned against item No. 7

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is the Entire Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Gali. WEST : Remaining Part of above said property. NORTH : Property No.17. SOUTH : Property No.15.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a built up First Floor with Roof Rights area measuring 45 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- East : Part of Property. West : Property No.44. North : Gali 10ft. South : Part of Property.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

INTEC CAPITAL LIMITED Publication Demand Notice NOTICE UNDER SEC. 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002

LIST OF HYPOTHECATED ASSETS S.No. DETAILS OF MACHINERY QUANTITY 1. ACE - SLANT BED CNC LATHE MACHINE MODEL JOBBER JUNIOR 1

PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED CIN: U67190MH2007PTC168303 Regd. Office : 5th Floor, Dani Corporate Park, 158, CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai 400098, Tel: 022-68492450, Fax: 022-67412313

PHOENIX ARCS/11/2020/PTC/2022. 1. Saraswati Shiksha Samiti, represented by its Authorised Signatory: No.16, Raj Nagar, Karol Road, Sharnshabad Road, Karolnaha, Deori Road, Agra, Uttar Pradesh-282009

Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Gali. WEST : Remaining Part of above said property. NORTH : Property No.17. SOUTH : Property No.15.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up Entire Second Floor up to ceiling level, without roof rights & built up third floor with roof rights, land area measuring 55 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Property of Others. WEST : Road 20 ft. wide. NORTH : Property of Others. SOUTH : Property of Others.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up flat on Second Floor portion without roof rights, area measuring 45 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Property of Others. WEST : Road 15ft. wide. NORTH : Property of Others. SOUTH : Property of Others.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Gali. WEST : Remaining Part of above said property. NORTH : Property No.17. SOUTH : Property No.15.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property) Whereas, The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058,

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under consideration is a Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

BOUNDED AS UNDER- EAST : Property of Others. WEST : Road 20 ft. wide. NORTH : Property of Others. SOUTH : Property of Others.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone : 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

रादुविदि में दसवें निःशुल्क रोजगार मेले का उद्घाटन समारोह

असफलता की चुनौती को स्वीकार करने का कौशल ही सफलता का मूल मंत्र : एसपी

जबलपुर ■ राज न्यूज नेटवर्क

रानी दुर्गावती वि.वि. के कौशल विकास विभाग विज्ञान भवन में आयोजित 10वें रोजगार मेला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि असफलता ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है, इससे सीख कर ही प्रत्येक प्रतिभागी अपनी सफलता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास एवं सकारात्मकता की शक्ति से स्वयं को उर्जावान रखते हुए हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। उद्घाटन सत्र में छात्रों द्वारा जिज्ञासा के रूप में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से सवाल किए, जिसमें छात्रों ने पूछा कि, मोटिवेटेड रहने के लिए क्या किया जा सकता है-आप कार्यक्षेत्र में आने वाले तनावों को कैसे मैनेज करते हैं-मानवैज्ञानिक रूप से कैसे सक्षम बना जाए एवं प्रशासन द्वारा कैसे मदद मिलेगी। हर जगह अनुभव को ही वरीयता क्यों प्रदान किया जाता है।

शुभकामनाएं प्रदान की

रोजगार मेला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कौशल प्रो. कपिल देव मिश्र ने कहा कि तकनीकी कौशल के साथ आज आत्मविश्वास एवं प्रस्तुतिकरण



कौशल आवश्यक है रोजगार मेला में छात्र-छात्राएं आत्मविश्वास के साथ कम्प्यूटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल से स्वयं को प्रस्तुत करें और सफलता-असफलता दोनों परिस्थिति को स्वीकार कर कार्य भावना के साथ आगे बढ़ें। विशिष्ट अतिथि रोहित सिंह कौशल, वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि. ने 10वां वृहद रोजगार मेला का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना बहुत ही अहम एवं महत्वपूर्ण है, जिस हेतु साक्षात्कार कौशल के महत्व को बताया एवं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रदान की।

30 से अधिक कंपनियों ने भागीदारी की

कैरियर गाइडेंस, काउंसिलिंग, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ संयोजक प्रो. सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि 10 वां निःशुल्क वृहद रोजगार मेला कैरियर गाइडेंस, काउंसिलिंग, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ, रादुविदि द्वारा शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु तीन दिवसीय "10वां निःशुल्क वृहद रोजगार मेला" का आयोजन किया जा रहा है, इसमें लगभग 30 से अधिक कंपनियों ने भागीदारी की। इस दौरान 1800 रजिस्टर्ड प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लाक पनागर के सहायक लॉक प्रबंधक रिषा पाण्डेय, हितकारिणी महिला महाविद्यालय सहित कई महाविद्यालयों के छात्र रोजगार मेले में शामिल हुए।

कार्यक्रम में यह रहे प्रमुख रूप से मौजूद

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुश्री सीमा पटेल, कार्यपरिपद सदस्य, एस.एल.कोरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, सड़मपे जबलपुर, प्रो सुनीता शर्मा, डॉ निपुण सिलावट, विवेक राजपूत, प्रो. अशोक दास गुप्ता, डॉ विकास सिंह, रीतेश चौरसिया, महावीर त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ मीनल दुबे एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ अजय मिश्रा ने किया। आज 17 दिसंबर 2021 को समापन अपराह्न 3.00 बजे से किया जाएगा।



नाट्य कार्यशाला का हुआ आयोजन

जबलपुर। रंग कर्म मनुष्य की चेतना को जागृत कर एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक होता है। उक्त विचार विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म वार्किंग विद द विड तथा विडो ऑफ साइलेंस के निर्माता और निर्देशक प्रवीण मोरखेले और वरिष्ठ रंगकर्मी एवं सिनेमेटोग्राफर अजय चौर ने व्यक्त किए। आयोजित सांस्कृतिक संस्थान द्वारा तिलक बाल सादर परिसर में आयोजित नाट्य रंग कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष आदेश सिंह, रजनीश यादव, अजय धाबड़े, दीपक कुशवाहा, अमन कुशवाहा, काव्य कांत, अनन्या, आदिरा, अनुज यादव, वैरेनिका बेंजामिन, अभिषेक दागी, अनिरुद्ध विष्कर्मा, सार्थक यादव, सुलेखा हाडे आदि उपस्थित थे।

जबलपुरी मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 26 को

18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरुष हो सकेंगे शामिल



जबलपुर ■ राज न्यूज नेटवर्क

जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा 26 दिसम्बर को जिला स्तरीय मटर व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन होटल कल्चुरी रेसीडेंसी में किया जायेगा। जबलपुरी मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी के चेयरमैन कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत वोकर फॉर लोकन की थीम पर किया जायेगा। ज्ञात हो कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को पूरा करने के इच्छुक व्यक्ति प्रतियोगिता के गूगल फॉर्म को भरकर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जायेगा एवं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जायेगा।

स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपूत ने बताया कि मटर व्यंजन प्रतियोगिता के माध्यम से जनसामान्य तक मटर के व्यंजनों की ऐसी कई रेसिपी सामने लाने का प्रयास किया जा रही है, जिसे सहजता से घर पर भी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता को पूरा करने के इच्छुक व्यक्ति प्रतियोगिता के गूगल फॉर्म को भरकर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जायेगा एवं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया जायेगा।

व्यंजन प्रतियोगिता की है तीन श्रेणी

सीईओ स्मार्ट सिटी के अनुसार मटर व्यंजन प्रतियोगिता तीन श्रेणी में होगी। इसमें मटर से बना नाश्ता, मीठा या नमकीन, मटर की सब्जी एवं मटर का अन्य कोई पकवान, चटनी, सूप आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को

एक प्रतिभागी एक श्रेणी में ले सकता है भाग

श्रीमती राजपूत के अनुसार इस प्रतियोगिता में ऐसे महिला एवं पुरुष प्रतिभागी शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। एक प्रतिभागी एक ही श्रेणी में भाग ले सकता है। जो व्यंजन आवेदन फॉर्म में बताये गए हैं उसे तैयार करके 26 दिसम्बर को दोपहर 12 के पहले होटल कल्चुरी रेसीडेंसी में उपस्थित होना होगा। प्रतियोगिता का परिणाम ज्युरी के द्वारा घोषित किया जायेगा। जबलपुर स्मार्ट सिटी के ईट राइट मैरकेट फिट बट्टा के कॉमिक वीडियोस के माध्यम से स्मटर उत्सव तथा मटर की उपयोगिता के विषय में जागरूक दी जायेगी। प्रतियोगिता के लिए गूगल फॉर्म की लिंक जबलपुर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट तथा जबलपुर स्मार्ट सिटी फेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर पेज से प्राप्त की जा सकती है। किसी तरह की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9993886171 पर सुबह 10:30 से 6:30 के बीच संपर्क किया जा सकता है।

पहले गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। गूगल फॉर्म में प्रत्येक प्रतिभागी को मटर व्यंजन बनाने की विधि, सामग्री एवं मात्रा आदि उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। जो भी व्यंजन तैयार किये जायेंगे उसकी मात्रा 5 व्यक्तिके आधार पर की जाएगी, उसकी सामग्री में मटर का हिस्सा 75 प्रतिशत होगा। व्यंजन में केवल ताजे मटर का उपयोग किया जायेगा, जिस व्यंजन का उल्लेख आवेदन में दर्शाया गया है, वही व्यंजन प्रतियोगिता में शामिल होगा। संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

पश्चिम मध्य रेल
पत्र क्र. एमडी/सीएच/पमे/जबलपुर/हाउस सर्जन, दिनांक 14.12.2021
वॉक इन इंटरव्यू - जूनियर रेसीडेंट डाक्टर

केन्द्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर में जूनियर रेसीडेंट (हाऊस ऑफिसर) के तीन पदों हेतु (प्रसूति व स्त्री रोग - 1 पद, मेडिसिन - 1 पद एवं सर्जरी - 1 पद) चिकित्सक की आवश्यकता है।

चयन तिथि: दिनांक 05.01.2022 दिन: बुधवार समय: 11.00 बजे
अवधि: छह माह (एक सत्र), अधिकतम अवधि 2 वर्ष तक।

वेतनमान: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्य दरें (लगभग ₹ 53,000/- प्रतिमाह)।

योग्यता: 1. किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. की उपाधि (इन्टरनशिप करने के बाद)। राज्य मेडिकल कॉलेज में पंजीयन। 2. जिस चिकित्सक का नियमानुसार बॉन्ड समाप्त हो गया हो, वे आवेदन कर सकते हैं। 3. जो चिकित्सक किसी सरकारी नौकरी में कार्य कर रहे हैं, वे आवेदन के पात्र नहीं हैं।

अन्य सुविधाएँ: 1. सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय में कार्य करने का अनुभव। 2. रेलवे चिकित्सालय में स्वयं के ईलाज की मुफ्त व्यवस्था। 3. एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक सेट मुफ्त प्रथम श्रेणी पास कार्य स्थल से घर आने जाने हेतु।

नोट: साक्षात्कार हेतु योग्य चिकित्सक सभी मूल प्रमाण पत्र एवं सच प्रमाणित छाया प्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ चिकित्सा निदेशक कार्यालय में निर्धारित तिथि को समय प्रातः 11.00 बजे स्वयं उपस्थित हों।

चिकित्सा निदेशक, केन्द्रीय चिकित्सालय, जबलपुर
कोरोना से बनाना है सूरी तो वैकसीन लगवाना है जरूरी।

कामर्सियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स क. लिमिटेड
सीआईएन : L28100MP1979PLC049375
रजि. ऑफिस: 48, बंदना विहार, नर्मदा रोड, गोरखपुर, जबलपुर (म.प्र.) इंडिया-482001

कॉमर्सियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स क. लिमिटेड
नेशनल कंपनी लॉ ट्रेडिंग, इंडोर बेंच के समक्ष
C.P. (CAA)/(8/MP)2021 के साथ संबंधित C.A.(CAA)/(8/MP)2021

निम्न के संबंध में उपरोक्त अधिनियम के कंपनीज एक्ट, 2013 - धारा 230 से 232 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम एवं

कामर्सियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स क. लिमिटेड, जिसका सीआईएन- L28100MP1979PLC049375, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 48, बंदना विहार, नर्मदा रोड, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश में है।

... आवेदक/स्थानांतरणीय/सामाजिक कंपनी एवं

ज्युटिड वेग्स लिमिटेड, जिसका सीआईएन- CINU35202WB2006PLC110822, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 4/2, मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता-700071, पश्चिम बंगाल में है।

स्थानांतरणकर्ता/सामाजिक कंपनी

वायिका की सूचना
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत समागमन की योजना की मंजूरी के लिए एक वायिका, जैसा कि कामर्सियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स क. लिमिटेड (आवेदक/स्थानांतरणीय/सामाजिक कंपनी) और ज्युटिड वेग्स लिमिटेड ("स्थानांतरणकर्ता/सामाजिक कंपनी") के बीच विचार हेतु आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्तानुसार 18 नवम्बर 2021 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त वायिका 13 जनवरी 2022 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रेडिंग की इंडोर बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त वायिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को वायिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास उसके मुद्दे की सूचना, उसके या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षरित सूचना, वायिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधियों तक वायिका सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से दो दिन पूर्व से अधिक विलंब से नहीं, भेजना होगा। जहां वह वायिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अयोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर नोटिस की एक प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

हस्ता-
सीएस चेतन पटेल
उपरोक्त दृष्टिगत आवेदक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि
पता: 301, अक्षर स्टेटिवि, हिस्मानी हाउस के सामने,
बी/एच आरमिडा कॉन्टेक्ट सेंटर, कार्यालय एच.जी.
हाईवे, बोदकवेय, अहमदाबाद-380059

दिनांक - 17.12.2021

कलेक्टर ने अभियान चलाकर लाभ दिलाने के लिये निर्देश गरीब, बेसहारा और दिव्यांगों को लाभ दिलाने समय-सीमा तय

जबलपुर ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीब बेसहारा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बरितियों एवं स्थानों के चिन्हीकरण और पात्रता पची बनाने के लिये तिथिधार समय-सीमा निर्धारित किया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गुरुवार को जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर तय समय-सीमा के अनुरूप अभियान चलाकर कार्य संपादन का निर्देश दिया है। झुग्गी, झोपड़ी, बस्तियों में, विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास में धर्मशालाओं आदि के आस-पास मांग कर जीवन यापन

करने वाले गरीब लोगों की पहचान के लिये 24 दिसम्बर तक दलों का गठन कर उनका प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद 7 जनवरी 2022 तक दलों द्वारा सर्वे कार्य करने और 14 जनवरी 2022 तक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने और 28 जनवरी 2022 तक चिन्हीकरण तिथिप्राप्तियों को पात्रता पची जारी करने की समय-सीमा तय की गई है। जबकि 31 जनवरी 2022 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सर्वे के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, उनका प्रमाणिकरण एसडीओ राजस्व से कराया जाय। ऐसे व्यक्तियों को अन्य वंचित श्रेणी में सत्यापित किया जाकर पात्रता पची बनाई जाय।

23 प्रतिशत डीए देने की मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने सीएम के नाम भेजा पत्र

जबलपुर (आर.एन.एन.)। पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर प्रधानमंत्री को 50 हजार से अधिक पोस्ट कार्ड माह नवंबर 2021 से भेजे तथा पूर्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर समस्त तहसील के तहसीलदार, एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। जिसके फलस्वरूप पेंशनर्स को मप्र सरकार द्वारा 5 प्रतिशत डीए के आदेश जारी किये गये हैं। इस डीए से प्रदेश का पेंशनर्स दुखी है, क्योंकि महंगाई तो सुरक्षा की भांति मुंह पसार रही है, जो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला शाखा अध्यक्ष पं नरेश उपाध्याय, संभागीय अध्यक्ष व्ही पी शुक्ला, आर के प्यासी, डी एस गुप्ता, प्रेमवल्लभ शर्मा, के के शुक्ला, हीरालाल साहू, अशोक दुबे, एनपी निगम, ओमशंकर शुक्ला, दामोदर प्रसाद शुक्ला, जी पी कोरी, आर एल पाण्डे, डी डी शर्मा आदि ने मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री से मांग की है कि केन्द्र के समान 23 प्रतिशत पेंशनर्स को दिया जाये।

आरओ को ईवीएम ट्रंक का वितरण 23 को

जबलपुर (आर.एन.एन.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पनागर, कुंड, सहिरा और जबलपुर बरगी के रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वे गुरुवार 23 दिसंबर को रात्री स्थित शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के ईवीएम वेयरहाउस से ईवीएम ट्रंक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही कर्मवीर शर्मा ने निर्देशित किया है कि ईवीएम ट्रंक परिवहन कर विकासखंड में स्थित स्ट्रॉंग रूम में सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

वैकसीनेशन में गति लाने एसडीएम ने दल के साथ किया घर-घर सर्वे कार्य



पर्व (आर.एन.एन.)। शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार वैकसीनेशन कार्य किया जा रहा है और लोगों को वैकसीनेशन के दोनों दोज अति आवश्यक किया गया है। इसी कड़ी में नगर के वार्ड नंबर 8 बस स्टैंड में संचालित वैकसीनेशन केंद्र में एसडीएम के एस गोतम द्वारा पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी, साथ ही वार्ड नंबर 10 मस्जिद के पास मोहल्ले में दल के साथ मिलकर घर-घर सर्वे कार्य किया गया और लोगों को वैकसीनेशन के दोनों दोज लगवाने आग्रह किया गया। इस अवसर पर डॉ एम एल चौधरी बीएमओ, अंजु त्रिपाठी सुपरवाइजर, बीपीएम राम शरण तिवारी, सदर पटवारी अर्जुन सिंह, शिक्षक हरिशंकर प्रजापति, नगर परिषद टीम एवं आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
दूरस्थ शिक्षा का प्रदेश में एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय
आज होंगे शिक्षित तो भविष्य होगा सुरक्षित

स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट रोजगारमुखी पाठ्यक्रम

बी.ए., बी.एस.सी. (जीव विज्ञान, गणित, आईटी), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.जे. (प्रकारिता में स्नातक), बी.लिव. (बैचलर ऑफ लायब्रेरी साइंस), एम.कॉम. (वित्तीय प्रबंधन), एम.बी.ए., एम.बी.ए.एम.एम. (सामग्री प्रबंधन), एम.ए.आई.सी.एच.ए. (पुरातत्व में स्नातकोत्तर), एम.ए. (राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य), एम.एस.सी. (रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, जनु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आईटी.)

डिप्लोमा - डी.बी.ए. (व्यापार प्रबंधन), डी.आई.एम. (प्रबंधन), डी.सी.ए. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन), डी.एच.ए.ई. (पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा), रामचरित मानस, प्रमाणपत्र - सी.एच.आर. (मानव अधिकार), सी.आर.डी. (ग्रामीण विकास)

अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://mpbou.edu.in>
तथा क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बीवा, रातना, सागर, उज्जैन, इन्डिया, होशंगाबाद, बडवानी में सम्पर्क करें

प्रतिदिन महाविद्यालय में उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं, उम्र का बंधन नहीं!
सम्पर्क सूत्र : 0755 - 2494094, 2492105, 2490072
M.P. Madhyam/102962/2021 कुलसचिव

साऊथ ईस्टर्न कोलपीट्स लिमिटेड
"मिनी एल क्लर्क" (कोल इण्डिया लिमिटेड का उपक्रम)

एसईसीएल/जको/विभागाध्यक्ष (योजना/परि)/2021/28 दिनांक 29.11.2021

सूचना

साऊथ ईस्टर्न कोलपीट्स लिमिटेड के जमुना कोतमा क्षेत्रान्तर्गत आमगाडा खुली खदान परियोजना से प्रमावित ग्राम निमाह एवं मजौली तहसील- कोतमा, जिला अनुपपुर (म.प्र.) के समस्त नू स्वामियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम निमाह एवं मजौली की अधिग्रहीत भूमि के एवज में अंतिम भूमि एवं मकान की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु 05 (इन्द्रप्रसाद माता धनपत पिता राजकुमार पतिना पिता विवासी राम एवं अन्य 04) (ग्राम निमाहा के 02, मजौली के 01 नू-स्वामी, तथा ग्राम मजौली के 02 मकान स्वामी को प्रस्ताव) भूस्वामियों/मकान स्वामियों द्वारा वांछित दस्तावेजों के साथ मुआवजा भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच में नामों विभिन्न दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई है जिन आवेदनों में भूमि/मकान के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जानी है एवं नामों में भिन्नता पाई गई है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	मकान का पत्रक क्र.	भूमि दस्तावेजों के अनुसार नू स्वामी का नाम एवं पिता का नाम	ग्राम का नाम	जॉर्निंग खसरा नं.	कुल जॉर्निंग हे. मं. एकर में	कुल जॉर्निंग हे. मं. एकर में	मुआवजा भुगतान हेतु प्रस्तावित व्यक्ति का नाम	अन्य (विभिन्न दस्तावेजों में नाम विसंगति एवं अन्य)
1	20	धनश्याम प्रसाद माता कलवती कुम्हार पता सा. कोठी	निमाहा	748/2, 856/1	0.405	1.00	धनश्याम प्रसाद प्रजापति	धनश्याम प्रसाद प्रजापति, पिता खेमराज प्रजापति, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम धनश्याम प्रसाद प्रजापति है।
2	116	भूषण प्रसाद माता कलवती कुम्हार पता सा. कोठी	निमाहा	757	0.429	1.06	भूषण प्रसाद प्रजापति	भूषण प्रसाद प्रजापति, पिता खेमराज प्रजापति, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम भूषण प्रसाद प्रजापति है।
3	90	पावती, दीपा, रामकान्त पिता खेमनारायण डा. सा. देह	मजौली	2041/1/1, 2061/1/1	0.159	0.39	दीपा दुबे पति दीपक कुमार दुबे	पावती का नाम पावती उपाध्याय लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम पावती उपाध्याय है। दीपा का नाम दीपा दुबे लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम दीपा दुबे है। रामकान्त का नाम देवनारायण लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम देवनारायण डा. सा. देह लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम देवनारायण लिखा है।
4	8	रमाकान्त मिश्रा पिता देवनारायण मिश्रा	मजौली	296/1/1	0.043	0.043	रमाकान्त मिश्रा पिता देवनारायण मिश्रा	रमाकान्त मिश्रा का नाम रमाकान्त लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम रमाकान्त लिखा है। देवनारायण मिश्रा का नाम देवनारायण लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम देवनारायण मिश्रा है।
5	119	परमात्मा दास पिता लोकन दास महार	मजौली	2405/1/1	0.044	0.044	परमात्मा दास पिता लोकन दास महार	परमात्मा दास का नाम परमात्मा महार लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम परमात्मा दास है। लोकन दास का नाम लोकनदास लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम लोकनदास महार है।

उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि एवं भूमि पर स्थिति परिसमाप्तियों के मुआवजा भुगतान के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में वैध दस्तावेजों के साथ प्रकाशन तिथि के सात दिनों के अन्दर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उप महाप्रबंधक (सातना)/विभागाध्यक्ष (योजना/परि.)
जमुना कोतमा क्षेत्र

S-30799/2/21